रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 38333/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

अति आवश्यक सूचना

पाठकों के डिमान्ड पर यह स्थान हमने आपके विज्ञापन हेतु सुरक्षित रखा है इसे आप अपना बनाकर एक छोटा सा विज्ञापन देकर अपने व्यवसाय में चार चाँद लगा कर व्यवसाय बढ़ा सकते हैं।

2 बार विज्ञापन प्रकाशित कराने पर तीसरा विज्ञापन बिलकुल मुफ्त गज़ट की ओर से प्रकाशित किया जायेगा। शर्तें लागू सम्पादक

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गजट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक –19 ● कानपुर 1 से 15 अक्टूबर 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹100

स्नातक स्तर से कम पाठयक्रमों का कोई मूल्य नहीं

इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पाठयक्रमों की गाईड लाईन जारी

किसी भी चिकित्सा पद्धति की योग्यता के लिए उसके पाठ्यक्रमों का संतुलित होना बहुत आवश्यक होता है इसके साथ जो व्यवस्थायें होती हैं उनका अनुपालन भी बहुत आवश्यक होता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति वैसे तो अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति है इस पद्धति से चिकित्सा करना, शिक्षा देना, अनुसंधान करने के अधिकार भारत सरकार व राज्य सरकार दोनों से प्राप्त हैं और दोनों ही सरकारें हमें कार्य करने की पूरी अनुमति प्रदान करती हैं लेकिन हर चिकित्सा पद्धति को कार्य करने के लिए कुछ न कुछ सरकार द्वारा दिशा निर्देश जारी होते हैं और प्रत्येक चिकित्सा पद्धति इन दिशा निर्देशों का पालन करती है एलोपैथी के लिए मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया, आयुर्वेद एवं यूनानी के लिए केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, होम्योपैथी के लिए केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद दिशा निर्देश जारी करते हैं और पद्धतियां उनका अनुपालन करती हैं चूँकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभी तक मान्यता नहीं मिली है मान्यता का प्रकरण सरकार के समक्ष विचाराधीन है इसलिए जब तक मान्यता नहीं दी जाती है तब तक कार्य करने के लिए हमें उन सभी निर्देशों और नियमों का पालन करना होगा जिससे कि जब कभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रकरण शमन की तरफ आवे तो कोई भी अधिकारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की किसी भी गतिविधि को अन्य मान्यता प्राप्त पद्धतियों से कमतर न आंके क्योंकि यह वह ध्रुवसत्य है कि जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दी जायेगी तो मान्यता के लिए जो मानकों के मापदण्ड होंगे यदि हम उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो सम्भावनायें एक बार फिर समय को आगे बढ़ा देंगी।

हमें यह बात हर समय ध्यान रखनी चाहिये कि 18 नवम्बर ,1998 को माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जो दिशा निर्देश जारी किये थे लेकिन सरकार ने इन दिशा निर्देशों को मानने के बजाये सर्वोच्च न्यायालय की (बेनामी) शरण ली, जब सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश यथास्थिति में रखा, इधर हमारे आन्दोलनकारी साथियों ने लगातार मान्यता के प्रतिवेदन सरकार को भेज–भेज कर सरकार को इस बात के लिए विवश कर दिया है कि सरकार कोई सकारात्मक निर्णय ले तब सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और लोगों की मांग दोनों का घालमेल करते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी इस कमेटी को यह दायित्व दिया गया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में अपनी विशेषज्ञ राय सरकार को दे, कई मीटिंगों के बाद इस कमेटी ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी उस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने स्पष्ट लिखा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए जो आवश्यक मापदण्ड होने चाहिये वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी अभी नहीं पूरी कर रही है।

इसतरह से इस प्रकरण का पटाक्षेप हो गया लेकिन हमको यह समझाया गया कि मान्यता के लिए आवश्यक मापदण्ड पूरे ही करने होंगे, मान्यता के बाद स्थिति क्या होगी किस तरह इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संचालन होगा ?इसका निर्णय उस समय सरकार द्वारा लिया जायेगा लेकिन उस स्थिति तक पहुँचने के लिए जो मापदण्ड होने चाहिये उसका निर्धारण और अनुपालन हमें स्वयं करना होगा, वैसे इस समय देश और प्रदेश में बहुत कम संस्थायें अधिकारिक रूप से कार्य कर रही हैं फिर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अधिकार पाने के लिए प्रयासशील हैं और इसी उम्मीद में कार्य कर रहे हैं।

कार्य करना बुराई नहीं है सबको कार्य करना चाहिये क्योंकि कार्य से उम्मीदें बढ़ती हैं, दूसरा ! जब कार्य होते हैं तो समाज में अच्छे सन्देश जाते हैं लेकिन कार्य करने की आड़ में कुछ लोग ऐसे कार्य कर जाते हैं जो कार्य नहीं होने चाहिये ऐसे कार्यों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की छवि बिगड़ती है और कभी–कभी स्थिति यह हो जाती है कि ऐसे कार्यों से जो परिणाम आते हैं वह समाज में गलत संदेश दे जाते हैं वैसे तो आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी का वातावरण कार्य करने के लिये अनुकूल है परन्तु जब मानकों का स्वतः उल्लंघन किया जाता है तो अच्छी से अच्छी परिस्थितियां भी प्रतिकूलता में परिवर्तित होने में लेश मात्र भी विलम्ब नहीं करती हैं, परिस्थितियां तो पल–पल बदला करती हैं, कब क्या हो जाये ?इसका भी पता नहीं लग पाता है, यदि हम थोड़े से फलेश–बैक में जायें तो हमें यह स्वतः ज्ञान हो जावेगा कि परिस्थितियां कितनी तेजी से करवट बदलती हैं। कुछ वर्षों पहले तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सभी लोग बिना किसी सरकारी नियन्त्रण के कार्य कर रहे थे, कार्य करने में कोई बाधा नहीं थी, रुकावट व अड़चनें दूर–दूर तक दिखायी नहीं देती थीं, समय बदला 18 नवम्बर, 1998 आया थोड़ा परिवर्तन हुआ सन् 2000 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया थोड़ा वक्त गुजरा 25 नवम्बर, 2003 ने दस्तक दी और आते ही सबकुछ बदल दिया, बड़े–बड़े ढेर हो गये, जो रुके वह भी रुक–रुक कर चले, समय ने अबकी बार करवट न लेकर अंगड़ाई ली और भाग्य ने साथ दिया परिणामतः 05–05–2010 का जन्म हुआ लेकिन काम करने के अवसर नहीं मिले, प्रयासों का सिलसिला फिर शुरु हुआ 21 जून, 2011 पाये, सब लोग खुश हुये, पर हम तो उत्तर प्रदेश के हैं, काम भी उत्तर प्रदेश में करना है इसलिये उत्तर प्रदेश में स्थापित होने के लिये प्रदेश सरकार से निवेदन किया हमारे निवेदन में वैधानिकता और कार्य करने के अधिकारों के तथ्य निहित थे प्रदेश सरकार ने इस विषय पर गम्भीरता से विचार करते हुये 04 जनवरी, 2012 को हमें स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने के अधिकार प्रदान किये, स्वतन्त्रता से आशय कि हम 25 नवम्बर, 2003 में वर्णित निर्देशों के अनुरुप कार्य करने के लिये अधिकारी हैं।

- स्नातक से कम पाठयक्रम मूल्यहीन
- अवधियों का हो पुनर्निरीक्षण
- 6 माह व 1 वर्ष के कोर्स औचित्यहीन
- बदली परिस्थितियों में होगा काम
- व्यवस्थाओं में शीघ्र परिवर्तन
- मापदण्डों का पुनर्निधारण
- अपात्र होंगे चिन्हित

समय ने फिर पलटी मारी भारत सरकार का आदेश क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट 2010 जिसे कि प्रदेश में लागू होना था छः वर्षों तक यह आदेश लागू नहीं हुआ, अन्ततः 13 जुलाई, 2016 को प्रदेश सरकार ने इस क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट 2010 के अधीन यू0पी0 क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन एण्ड रेगुलेशन) रुल्स 2016 पास कर दिया अब यह कानून पूरे प्रदेश में लागू है।

इस कानून के आने से शिक्षण और पंजीयन के विषय में संशोधन किये गये हैं अस्तु इन बदली हुयी परिस्थितियों में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कार्य करने के लिये इसी के अनुरुप स्वयं को ढालना होगा, जैसा कि प्रारम्भ की पंक्तियों में स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति को स्थापित होने के लिये उसके पाठ्यक्रम को समयानुकूल होना चाहिये वर्तमान में मान्यता प्राप्त पद्धतियों के जितने भी पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं उनकी अवधि साढ़े चार+एक (अध्ययन + इन्टर्नशिप) व चार + एक है (अध्ययन + इन्टर्नशिप) तथा इन सारे पाठ्यक्रमों का स्तर स्नातक स्तर का है और तो और स्नातक स्तर के जो पैरा मेडिकल कोर्स चल रहे हैं जिन्हें हम प्रैक्टिसिंग कोर्स कहते हैं उनकी भी अवधि 4+1,– व 4 है इन बदली हुयी परिस्थितियों में वह भी जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी मान्यता के लिये ट्रायल पर है तो यह आवश्यक है कि मान्यता की कसौटी पर खरा उतरने के लिये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पाठ्यक्रमों में समय रहते संशोधन कर लिया जाये। अन्यथः मान्यता की जाँच के प्रथम पड़ाव में ही हम आउट हो जायेंगे साथ ही साथ ऐसे संस्थानों को भी सचेत हो जाना चाहिये जो एक विषय के कोर्सेज चला रहे हैं और जिनकी अवधि 6 माह व एक वर्ष की है इन अवधियों के पाठ्यक्रम मूल्यहीन हैं और अभ्यर्थियों के साथ छलावा है एक विषयी कोर्स स्नातक स्तर के भी नहीं चलाये जा सकते हैं।

समय, माँग और पूर्ति दोनों का सम्मिश्रण चाहता है इनकी पूर्ति पर ही सफलता सम्भावित है, अन्यथः संदिग्ध।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का
इतिहास संजोए
व
बढ़ते कदमों की
जीती–जागती तस्वीर
A Saga of
Electro Homoeopathy
(A Documentry Film)
का लोकार्पण
नवम्बर के तीसरे
या चौथे रविवार को
नई दिल्ली में
संभावित है
एम0 इदरीस खान
निर्माता एवं वितरक
मो:– +91 9311565014

60 का महत्व

एक बार पूरे प्रदेश में फिर से पंजीयन का मुद्दा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के मध्य चर्चा का विषय बना हुआ है, कल तक हमारे जो साथी पंजीयन के विषय पर नकारात्मक राय रखते थे आज वही लोग पंजीयन की सर्वाधिक वकालत कर रहे हैं। पंजीयन होना आवश्यक है या नहीं ?यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि प्रदेश में जो भी चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करेगा वह अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अवश्य करेगा, यद्यपि आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार अब मुख्य चिकित्साधिकारी सिर्फ एलोपैथी चिकित्सकों का पंजीयन करेंगे, आयुर्वेदिक–यूनानी के लिए आयुर्वेदिक क्षेत्राधिकारी तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों का पंजीयन जिला होम्योपैथिक अधिकारी करेंगे, परन्तु जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों के लिए किसी नई व्यवस्था का निर्माण नहीं होता है, तब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों को अपने पंजीयन का आवेदन अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहां ही करना है।

अब यह प्रश्न यह उठता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में कौन चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय हेतु पात्र है और वह कौन से चिकित्सक हैं जिन्हें अपनी पात्रता सिद्ध करनी है। वैसे हमने अभी तक यह भेद नहीं किया, आप लोगों को याद होगा कि 4 जनवरी, 2012 को जब उत्तर प्रदेश शासन ने बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए शासनादेश जारी किया था उसके बाद पहली ही पत्रकार वार्ता में हमने कहा था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबके लिए है, हम अपने इस वाक्य पर अभी भी अडिग हैं।

लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं वह हमें विवश कर रही हैं कि हम सिर्फ अपने ही चिकित्सकों का संरक्षण करें इस वस्तुस्थिति से प्रदेश का हर संस्था संचालक वाकिफ है कि प्रदेश में चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान का कार्य करने का अधिकार किस संस्था को प्राप्त है ?अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए विभिन्न संस्था संचालकों द्वारा जो प्रयास किये गये उससे हर व्यक्ति परिचित है और इन प्रयासों से जो परिणाम प्राप्त हुए वह भी किसी से छिपे नहीं हैं। अधिकारिता के लिए 22 जनवरी, 2015 के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिस ढंग से प्रचार किया गया उसकी सच्चाई भी धीरे– धीरे लोगों के सामने आने लगी है पिछले दिनों कुछ जनपदों के अधिकारियों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों की जांच का कार्य प्रारम्भ किया और अधिकारियों द्वारा चिकित्सा व्यवसाय करने की अधिकारिता के सम्बन्ध में जानकारी चाही, यद्यपि हर अधिकारी इस बात से भली–भाँति परिचित है कि प्रदेश में सिर्फ बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए ही शासनादेश जारी है और इसी संस्था से शिक्षित, प्रशिक्षित एवं पंजीकृत चिकित्सक ही चिकित्सा व्यवसाय हेतु अधिकृत हैं। फिर भी अधिकारी जो मांगे उसे उपलब्ध कराना चाहिये तभी अधिकारी संतुष्ट होता है, बोर्ड ने हर अधिकारी को संतुष्ट कर रखा है कुछ जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों ने बाकायदा यह लिख कर स्वीकार किया है कि बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से पंजीकृत चिकित्सक ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा विधा से चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है। जैसाकि हमारे संगठन की परम्परा है कि हम कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं हमने इन पत्रों को सार्वजनिक किया, लोगों ने ऐसी जुगत जुटाई और ऐसे प्रचारित किया कि मानों 4 जनवरी, 2012 का आदेश प्रदेश के सभी चिकित्सकों के ऊपर प्रभावी है हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सकों के हितों से खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं सच्चाई कभी छिपती नहीं है और अधिकारों पर अतिक्रमण या बलात अधिकारी बनना कभी भी लाभप्रद नहीं होता, ऐसा नहीं कि इस तरह के प्रयास पहली बार किये गये हैं लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व गोरखपुर के सज्जन ने इसी तरह का प्रयास किया था उसके परिणाम जो हुए वह प्रयास करने वाला अच्छी तरह से जानता है, इसलिए अभी भी समय है कि लघु मार्ग छोड़कर कार्य करने की आदत डालें हमारी लड़ाई सम्पूर्ण इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए होती है और हमारा उद्देश्य सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथों के कल्याण का है।

अपने और दूसरे की भावना से ऊपर उठकर कार्य करना हमारी संस्कृति में है। इसके उपरान्त भी यदि कोई व्यर्थ का प्रयास करेगा तो परिणाम पूर्ववत ही होंगे।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी सनसनीख़ेज़ ख़बर नहीं है

ज़िन्दगी में खोने और पाने का सिलसिला चलता ही रहता है लेकिन मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ पाना ही चाहता है और जब बात खोने की आती है तो उसे बहुत कष्ट होता है परन्तु खोना और पाना चलता ही रहता है जीवन में हम कुछ खोयें न, ऐसा हो नहीं सकता इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सन्दर्भ में खोने और पाने का बहुत महत्व है क्योंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो कि लगभग डेढ़ सौ वर्षों से भारत वर्ष में प्रचलित है और इस चिकित्सा पद्धति के जानकार लगातार अपनी योग्यता के आधार पर चिकित्सा व्यवसाय में इस पद्धति को प्रयोग में लाते हुए जनता की सेवा कर रहे हैं लेकिन जो कुछ भी वह पाना चाहते हैं वह अर्थ के रूप में भले ही पा जाता हैं लेकिन जो संतुष्टि उसे मिलनी चाहिये वह प्राप्त नहीं हो पा रही है, यदि हम अतीत से लेकर वर्तमान की बात करें तो यदि अतीत गौरवशाली नज़र आता है तो वर्तमान संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए कहता है लेकिन इस संघर्ष की जो पृष्ठभूमि है वह भी कम रोचक नहीं है।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पदार्पण देश में जिन परिस्थितियों में हुआ है वह अपनी कहानी स्वयं कहता है एलोपैथी का प्रयोग ज्यों–ज्यों बढ़ रहा था अंग्रेज़ शासक लगातार हमारी परम्परागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की उपेक्षा कर रहा था वह इसलिए कर रहा था क्योंकि अंग्रेजों का मानना था यदि किसी देश को कमज़ोर करना है उस पर निष्कंटक राज करना है तो उस देश की संस्कृति, भाषा और चिकित्सा पद्धति तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रहार करो यह चारों चीजें ज्यों–ज्यों कमज़ोर होंगी अपना वर्चस्व बढ़ता जायेगा। अंग्रेज़ अपनी नीति पर सफल हुए शिक्षण व्यवस्था पर महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जिससे संस्कृति का ह्रास हुआ, ठीक यही काम चिकित्सा पद्धति के साथ हुआ वैद्यों के साथ सौतेला व्यवहार होने लगा आयुर्वेद के पाठ्यक्रम में छेड़–छाड़ की गयी और अंग्रेज़ी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया गया है साथ ही साथ ऐसे कानून बनाये गये जिसके दायरे में पद्धतियों को आना था इस दायरे में आने के लिए जो मापदण्ड बनाये गये वे तत्समय आसान नहीं थे, जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आन्दोलन चलाया, इस आन्दोलन के तहत अंग्रेज़ी वस्तुओं का बहिष्कार का नारा दिया गया, परिस्थितियों में महात्मा गांधी जी ने कहा कि **"Germen is better than English"** अर्थात गाँधी जी ने एलोपैथी के स्थान पर होम्योपैथी के प्रयोग की सलाह दी थी।

समय बीतता गया देश आज़ाद हुआ व्यवस्थायें बदलीं चिकित्सा पद्धतियों के मान्यता के सन्दर्भ बदले, इलेक्ट्रो होम्योपैथी उन दिनों जिन लोगों से संचालित हो रही थी शायद उन्होंने वह प्रयास नहीं किये जो करने चाहिये, शिक्षा व्यवस्था जिस ढंग से चल रही थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया इसका परिणाम यह हुआ कि तुलानात्मक रूप से हम काफी पिछड़ गये कानूनी व्यवस्था के अनुरूप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालकगण इस पर नियन्त्रण नहीं रख सके और यह कटु सत्य है कि जहां पर नियन्त्रण नहीं होता है वहां अराजकता जन्म लेती है, इसका जीता जागता प्रमाण इलेक्ट्रो होम्योपैथी में दिखायी देता है बिना मापदण्ड के मनचाहे ढंग से कार्य प्रारम्भ हो गया, नियमों को ताक पर रखकर बोर्डों और काउन्सिलों का गठन होने लगा विडम्बना तो यह है कि स्वयं द्वारा बनाये गये जिन नियमों को ताक पर रखकर बोर्डों और काउन्सिलों का गठन किया गया तथा स्वयं द्वारा बनाये गये जिन नियमों को स्वीकार करना था वही नहीं स्वीकार किये गये, जिससे यह हुआ कि मनचाहा कार्य होने लगा जहां पर नियन्त्रण नहीं होता है और कार्य अपनी मर्ज़ी से किये जाने लगते हैं ऐसे कार्य कभी भी दीर्घकालिक नहीं होते हैं, क्योंकि स्थायित्व के लिए आधार मज़बूत होना चाहिये इलेक्ट्रो होम्योपैथी का आधार तो बहुत मज़बूत है लेकिन इसका संचालन जिस ढंग से किया गया उसने समाज में कभी भी कोई अच्छा संदेश नहीं दिया। वर्ष 1990 से लेकर 2000 तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की प्रगति चरम पर थी हर क्षेत्र में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास हो रहा था लेकिन जब संख्या अधिक हो गयी लोग ख़ेमों में बंटने लगे समर्पण का स्थान स्वार्थ ने ले लिया तब जो होना था वही हुआ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सरकारी करण की हर तरफ से मांग उठने लगी जिसकी जो मनोदशा थी वह उसी के अनुरूप कार्य करने लगा परिणामतः इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मान्यता की मांग उलझ कर रह गयी।

अलग–अलग लोगों के अलग–अलग दृष्टिकोण, प्रस्तुतीकरण का तरीका। पृथक पृथक परिणाम यह हुआ कि शासन सत्ता में बैठे हुए अधिकारी यह निर्णित करने में पीछे नहीं रहे कि यहां पर अपनी अपनी ढपली अपना–अपना राग की कहावत चरितार्थ की जा रही है। चिकित्सा पद्धति के उन्नयन के बजाय अवनयन होने लगा सरकारी तन्त्र में बैठे लोग नई–नई कमियां ढूढने लगे और जैसे ही कोई हल्की सी कमी मिली तो वह प्रहार करने से नहीं चूके। वर्ष 2003 से जो गिरावट का सिलसिला प्रारम्भ हुआ उसको 2011 में जाकर विराम मिला, इन 8 वर्षों में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हो गये जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गयी थी समय की गति है जब–जब जो जो होना है वह होकर रहता है, लेकिन यदि हम इसी विश्वास पर बैठे रहे तो कार्य कैसे करेंगे ? अधोगति से हमें ऊपर आना है, चरम तक पहुँचना हमारा लक्ष्य है और इसे पाने के लिए कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना होता है लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां दृष्टिगोचर हो रही हैं वह किसी नये आदमी के लिए बहुत अच्छे भविष्य का संकेत नहीं दे रही हैं।

लगातार पाने के स्थान पर हमारे साथी खोते जा रहे हैं चरम से शून्य तक पहुँचाने की क्रिया भी हमारे अपने साथियों द्वारा की गयी लेकिन अब तो उन्हें रूक जाना चाहिये क्योंकि **खोते–खोते कहीं ऐसा न हो जाये कि उन्हें अपना वजूद ही ढूँढना पड़े।**

समाज में विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिये जो सम्मान पद्धति को प्राप्त है यदि उसको बढ़ा नहीं सकते तो उसको गिराना भी नहीं चाहिये, इसके लिए प्रख्यात कथाकार यशपाल की कहानी परदा से सबक सीखना चाहिये कि सम्मान बचाने के लिए अन्तिम क्षणों तक प्रयासरत रहना चाहिये इलेक्ट्रो होम्योपैथी के सम्मान में तो कमी नहीं आयेगी लेकिन जो इसके संचालक गण हैं यदि वे अपनी सोच में परिवर्तन नहीं करते हैं तो, **न तो उनका सम्मान रहेगा और न ही उनकी संचालन शैली का।** यह ज़रूर होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को चरम तक पहुँचने के लिए समय में और अधिक बढ़ोत्तरी हो जायेगी इलेक्ट्रो होम्योपैथी स्थिर है और इसके संचालन में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है, हाँ यह ज़रूर है कि संचालन के लिए जिन नियमों और कानूनों का पालन करना है वह तो करना ही होगा।

पंजीयन का विषय बार–बार उभारा जाता है पंजीयन का विषय महत्वपूर्ण विषय है इसे गौण नहीं किया जा सकता, जो लोग मान्यता की बात कर रहे हैं वह इस कटु सत्य को स्वीकार कर लें कि पंजीयन की नाव पर ही बैठकर मान्यता की लड़ाई लड़ी जा सकती है कुछ लोग न्यायालय की शरण में जाकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी से अपना पिण्डा छुड़ाना चाहते हैं ऐसे लोगों के पास खोने के लिए बचा ही क्या है लेकिन हम सबको अभी बहुत कुछ पाना है जिसके लिए प्रयास करने होंगे।

समय की मांग – विवाद नहीं कार्य हों

इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़े सभी व्यक्ति कभी न कभी यह सोचते ही होंगे कि वह दिन कब आयेगा जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाता विवादों से दूर होगा, पता नहीं क्या बात है ?इतनी सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, कहीं पर कोई विवाद नज़र नहीं आता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति पर नज़र डालते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद इस चिकित्सा पद्धति का विवादों से ही नाता है।

इस चिकित्सा पद्धति के अन्वेषक महात्मा गैटी ने जब इस चिकित्सा पद्धति को मूर्त रूप दिया तो उस समय भी हैनीमैन के समर्थकों ने इस पद्धति के सिद्धान्त पर विवाद खड़ा कर दिया था, यह तो महात्मा गैटी की दृढ़ता का परिणाम था कि वह पीछे नहीं हटे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अपनी सोच पर ही स्थिर रखा, फिर इस चिकित्सा पद्धति की औषधियों पर विवाद खड़ा किया गया, विवाद का स्तर यहां तक बढ़ गया था कि गैटी के अलावा अन्य लोग भी इस पद्धति के अन्वेषण पर अपना दावा ठोंकने लगे थे।

साउदर ने बाकायदा इस चिकित्सा पद्धति को अपनी सम्पत्ति मान ली थी और अपने हिसाब से इस पद्धति का प्रसार किया, हिन्दुस्तान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति कब आयी और कौन लाया ?इस पर भी विवाद खड़ा किया गया। कुछ लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में चिकित्सा पद्धति का पदार्पण फादरमुलर के प्रयासों से हुआ था और कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान में इस चिकित्सा पद्धति को लाने का श्रेय पश्चिम बंगाल के चिकित्सक हलधर को जाता है, कुछ नये लोग डा0 बल्देव प्रसाद सक्सेना को इसका श्रेय देते हैं।

आपको बता दें कि स्व0 बल्देव प्रसाद सक्सेना की कर्मभूमि विक्टोरिया स्ट्रीट (नक्खास) लखनऊ रही है इसके बाद जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्य करने की बात आयी तो लोग कहते हैं कि जितना काम स्व0 नन्द लाल सिन्हा ने किया उतना काम किसी ने नहीं किया लेकिन दावा करने वाले इसे नहीं स्वीकारते हैं। प्रथम भारतीय इलेक्ट्रो होम्योपैथ डा0 बल्देव प्रसाद सक्सेना के समर्थक सर्वाधिक काम करने का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं।

समय बीता देश में धीरे–धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जड़ें मज़बूत होने लगी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास होने लगा बहुत सारी संस्थायें बनने लगीं और योजनाबद्ध ढंग से कार्य होने लगे समाज में इलेक्ट्रो होम्योपैथों और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सम्मान मिलने लगा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य होने लगा साहित्य से लेकर औषधियों के निर्माण के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से कार्य होने लगा और इस तेज़ी का परिणाम यह हुआ कि सरकार की निगाह इस चिकित्सा पद्धति पर पड़ी, सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हो रहे कार्यों का गम्भीरता से निरीक्षण करने लगी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए होम्योपैथी के लोगों में ईर्ष्या का भाव जागृत हुआ और होम्योपैथी के नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाले होम्योपैथी शब्द का बेजा लाभ उठा रहे हैं।

नेताओं की इस मांग का असर यह हुआ कि तत्कालीन केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के सचिव डा0 ललित वर्मा ने एक आदेश जारी कर नया विवाद खड़ा कर दिया, कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ऐसे तत्व भी थे जो इस सरकारी आक्रमण से भयभीत हो गये, उन्होंने अपनी संस्थाओं का नाम बदल दिया कुछ इलेक्ट्रोपैथ हो गये कुछ इलेक्ट्रो काम्पेलक्स होम्योपैथ हो गये और कुछ ने तो अपने आप को इलेक्ट्रो हर्बल पैथ घोषित कर दिया। लेकिन हम ठहरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रबल समर्थक हमें अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रो होम्योपैथी और उसके सिद्धान्तों पर भरोसा है हम अडिग रहे लड़े और विवादों का शमन किया, समय बीतता गया और रोज़ नई–नई परिस्थितियां बनती गयीं और हर नयी परिस्थिति एक नये विवाद को जन्म देती गयी।

1990 में भी एक विवाद हुआ जो हमें बदनाम करने की साजिश थी हमने डटकर सामना किया और साजिश का भण्डाफोड़ हुआ। जब–जब आन्दोलन और अन्य रचनात्मक कार्य तेज़ किये गये सरकार में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को बदनाम करने की साजिश रची जाती रही, विवादों को जन्म दिया जाता रहा लेकिन हम इन सब सारी परिस्थितियों से बेपरवाह आगे बढ़ते रहे, इसी का परिणाम रहा कि हम आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी को उस स्थान तक पहुँचा पाये जहां पहुँचाना चाहते हैं।

1998 में जब दिल्ली हाईकोर्ट, नई दिल्ली द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी को नियमित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किये तब भी विवादों को जन्म दिया गया। हम कहाँ–कहाँ तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विवादों की चर्चा करें बस कष्ट होता है कि यदि विवाद बाहरी लोगों द्वारा पैदा किया जाये तो उनसे लड़ने में मज़ा आता है लेकिन जब विवाद अपनों द्वारा ही किया जाय तो ठीक नहीं लगता है। आज स्थिति यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की सम्मानजनक स्थिति बनती जा रही है लेकिन विवादों से पीछा नहीं छूटता यदि चर्चा में रहना है तो विवादों में रहना चाहिये यह सोच राजनीतिज्ञों की तो हो सकती है लेकिन हम सामाजिक आदमियों के लिए नहीं है सबसे ज़्यादा विवाद तो समाचार–पत्रों द्वारा वर्ष 2004 में खड़ा किया गया जब भारत सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय द्वारा 25 नवम्बर, 2003 द्वारा जारी एक आदेश को गलत व्याख्यित होने के कारण पूरे देश को जो कष्ट झेलना पड़ा उसे सोचकर ही रूह काँप उठती है, यद्यपि वह कोई वास्तविक विवाद नहीं था कुछ लोगों की गलत सोच के कारण मामले ने इतना तूल पकड़ा कि पूरे देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथ हिल कर रह गये, ऐसा लगने लगा कि क्या 50 साल की मेहनत एक झटके में खत्म हो जायेगी ? लेकिन सबका सहयोग हमारा संयम व दूरगामी नीति के तहत जो प्रयास किये गये उनके सुखद परिणाम देखने को मिले।

वर्ष 2003 से 2010 तक जो स्थिति रही वह बहुत गम्भीर रही सरकारी और न्यायालयी आदेश से लगातार दो चार होना पड़ा विवादों से बचते हुए 7 साल समय पार किया और वह शुभ दिन आया जब सरकार को कहना पड़ा कि "*भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन पर किसी तरह की रोक का प्रस्ताव नहीं है*" इस स्पष्टीकरण के आते ही सबने राहत की सांस तो ली लेकिन यहाँ पर भी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गयी।

एक संगठन ने दावा किया कि 5–5–2010 के आदेश का उपयोग केवल उन्हीं की संस्था कर सकती है, हमने तब भी नये विवाद को जन्म नहीं दिया था बल्कि धारा को बदलते हुए 21 जून, 2011 को वह ऐतिहासिक आदेश लाने में सफल हुए जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इतिहास में मील का पत्थर होगा। कल इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या होगा ?इसकी तो कल्पना हम नहीं करते लेकिन जो कुछ भी अच्छा होगा उसका आधार में 21 जून, 2011 ही होगा और आपको बता दें कि 21 जून, 2011 का आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के नाम है और यह इसी संगठन के प्रयासों का परिणाम है।

यहां पर यह बताना उचित होगा कि 5–5–2010 का आदेश मात्र स्पष्टीकरण है प्रायोगिक नहीं, जबकि 21 जून, 2011 का आदेश *आदेश है* जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान की अनुमति प्रदान करता है।

इस आदेश को देश के हर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने यहां क्रियान्वित भी करना है, इस आदेश को लागू करवाने के लिए बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने प्रयास शुरू किये और 6 माह के अन्तराल के बाद 4 जनवरी, 2012 को उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित करवाने में सफलता प्राप्त की। इस आदेश के आते ही प्रदेश के अन्य संस्था के संचालकों ने नये विवाद को जन्म देने का प्रयास किया लेकिन हमने तब भी कहा था कि *इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबके लिए* इसकी खुली घोषणा बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 द्वारा खुले मंच से की गयी । हमने खुले मन से सबको समाहित करने का प्रयास किया लेकिन जिसको नहीं मानना है वह नहीं मानते, विवादों को जन्म देते ही रहते हैं लेकिन इन सब चिन्ताओं से परे हम सफलता की दृष्टि को अंगीकार करते हुए आगे बढ़े इसी का परिणाम है कि आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी मज़बूत से मज़बूत स्थिति की तरफ बढ़ रही है बहुत हो चुका, अब विवादों को विराम दें।

काम करने वाले का नाता विवाद से नहीं काम से होता है।

क्या आप जानते हैं ?
प्रदेश में क्लीनिकल स्टैब्लिशमेन्ट एक्ट लागू हो चुका है
अतः
बिना बोर्ड से पंजीकरण कराये
व
अवधि समाप्ति के बाद भी
जो
चिकित्सक प्रैक्टिस कर रहे हैं
अविलम्ब
अपना पंजीयन/रिन्यूवल शीघ्र करा लें
क्योंकि
बिना वैध पंजीयन प्रैक्टिस
संज्ञेय अपराध है
विस्तृत जानकारी के लिये
Log in करें
www.behm.org.in

विभिन्न मुद्राओं में डा0 इदरीसी

अपने 43 वर्षीय कार्यकाल में डा0 इदरीसी ने न केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिये समय दिया साथ–साथ सामाजिक साहित्यिक अभिरुचि को भी दर्शाया, राजनैतिक कौशल से भी आप परिपूर्ण हैं। सबको साथ लेकर चलना और सबका सम्मान करना यह सब यहाँ पर प्रदर्शित चित्र स्वंय स्पष्ट करते हैं, युवावस्था से षष्टीपूर्ति तक के दुर्लभ चित्र गज़ट के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास है।